झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/कार्य–214/2014/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा अंतर्गत परिशिष्ट–I के अनुसार नौ अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रू० 375.4152 लाख (रू० तीन करोड़ पचहत्तर लाख एकतालिस हजार पाँच सौ बीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के अधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा अंतर्गत परिशिष्ट–I के अनुसार नौ अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रू० 375.4152 लाख (रू० तीन करोड़ पचहत्तर लाख एकतालिस हजार पाँच सौ बीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

3. उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, लघु सिचांई अंचल, हजारीबाग द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

4. प्रस्तावित उद्वह सिंचाई योजनाओं में Construction of IntakeWell, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

5. प्रस्तावित कार्यो की कार्यान्वयन् निम्न शर्त्तों के साथ प्रस्तावित है–

(i) इस योजना का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

(i) प्रस्तावित उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(ii) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा एवं कार्यपालक अभियता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा द्वारा उचित माध्यम से इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।

6. इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल 495 हे० (खरीफ–360 हे०, रब्बी–135 हे०) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I में संलग्न है। इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 75841 आकलित है।

7. प्रस्तावित कार्यो का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारंभ कर वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

8. प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' कोड सं0–50P470200101190-545 अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

9. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

10. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी कोडरमा कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/कार्य–214/2014/....................................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/कार्य–214/2014/....................................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/कार्य–214/2014/....................................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/कार्य–214/2014/....................................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी०एम०सी० / कार्य–214 / 2014 / .... / राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3 / पी०एम०सी० / कार्य–214 / 2014 / 4419-15 ए०सी० / राँची, दिनांक 20/X/14
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)